राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 1548/2006/जोधपुर

1. श्री राजेश सांखला
2. श्री राकेश सांखला

भागीदार फर्म डेजर्ट क्रियेशन, ई–637, ए–मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, द्वितीय–फेस, बासनी, जोधपुर, जरिये–मुख्तयारनामा श्री किशनसिंह सांखला पुत्र श्री रामसिंह सांखला, जाति–माली, निवासी–पावटा, बी रोड, जोधपुर । .....प्रार्थीगण.

बनाम

...अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये– उप पंजीयक, प्रथम, जोधपुर।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ईश्वर देवड़ा
अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.03.2014

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के प्रकरण संख्या 802/2001 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 21.11.2005 के विरूद्व राजथान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर, विद्वान् ''कलक्टर'' द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2005 को चुनौती दी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है रिको लिमिटेड, जोधपुर द्वारा बासानी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित दो भूखण्ड संख्या ई–637 व 637 ए को हैण्डीक्राफ्ट आईटम्स निर्माण संबंधी ईकाई लगाने हेतु ₹210/– प्रतिवर्ष के किराये पर मैसर्स डेजर्ट क्रियेशन जिसके चार भागीदार क्रमशः श्री अमीर जवेरी, श्री निसरीन जवेरी, श्री राजेशन सांखला व श्री राकेश सांखला थे, को 99 वर्ष की लीज पर, पृथक्–पृथक् लीज डीड दिनांक 24.03.1998 को निष्पादित की गयी जिसे उपपंजीयक द्वारा दिनांक 26.03.1998 को पंजीबद्ध कर, पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात्, फर्म के दो भागीदार भागीदार फर्म से पृथक् हो जाने के कारण उनके द्वारा ₹500/– के मुद्रांक पर एक दस्तावेज रिटायरमेंट डीड दिनांक 30.09.1999 को निष्पादित की गयी जिसके आधार पर रीको द्वारा अपनी मूल लीज के पीछे दो भागीदारों के रिटायरमेंट संबंधी तथ्यों का पृष्ठांकित किया गया। उक्त पृष्ठांकन को ₹100/– के मुद्रांक एवम् ₹100/– पंजीयन शुल्क पर पंजीबद्ध कर, प्रार्थी को लौटा दिया गया। जिसे पंजीयन उपरान्त, उक्त पूरक लीज अनुबंध को प्रार्थी को लौटा दिया गया लेकिन विभागीय आन्तरिक लेखा जांच दल द्वारा ऑडिट आक्षेप में यह आक्षेपित किया गया कि उक्त दस्तावेज ऑर्टीकल 23 में होने के कारण, **"Tansfer by**

लगातार.....2

way of assignment" की परिभाषा में आता है, जिस पर मुद्रांक शुल्क वसूली योग्य है, बनाकर रेफ्रेन्स अधिनियम की धारा 47 सी (2 ए) के तहत् कलक्टर को प्रेषित किया गया। "रेफ्रेन्स" के आधार पर, "कलक्टर" ने मुद्रांक शुल्क ₹2,07,665/— एवम् पंजीयन शुल्क ₹20,680/— तथा शास्ति ₹100/— आरोपित कर कुल वसूली योग्य मांग राशि ₹2,28,445/— आरोपित कर, उक्त की वसूली के आदेश पारित किये । जिसे क्षुब्ध होकर, यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें "कलक्टर" के आदेश दिनांक 21.11.2005 को विवादित किया गया है ।

बहस उभयपक्षीय सुनी गयी।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि कलक्टर द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है एवम् पक्षकारों को इस संबंध में सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है । गुणावगुण पर इस संबंध में "कलक्टर" के समक्ष उठाये गये बिन्दुओं पर दिये गये तर्कों को दोहरते हुये कथन किया कि "कलक्टर" द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा कोई नयी लीज अनुबंध निष्पादित नहीं की गयी है, न ही साझेदारी व्यवसाय के विघटन से कोई परिसम्पति के मूल्य का अन्तरण, विक्रय होने के कारण हुआ है, बल्कि "सप्लीमेन्ट्री लीज एग्रीमेन्ट" दिनांक 30.09.1999 को रीको एवम् दो भागीदार भागीदार फर्म से पृथक् हो जाने के कारण उनके द्वारा ₹500/— के मुद्रांक पर एक दस्तावेज रिटायरमेंट डीड दिनांक 30.09.1999 को निष्पादित की गयी जिसके आधार पर रीको द्वारा अपनी मूल लीज के पीछे दो भागीदारों के रिटायरमेंट संबंधी तथ्यों का पृष्ठांकित किया गया। उक्त पृष्ठांकन को ₹100/— के मुद्रांक एवम् ₹100/— पंजीयन शुल्क पर पंजीबद्ध किया गया । इसमें किसी प्रकार से "Transfer by way of assignment" नहीं हुआ है न ही कोई नया लीज अनुबंध लिखा गया है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित किये हैं:—

1. श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री प्यारेलाल, प्रोपराईटर मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज, जयपुर निगरानी संख्या 2753/2005/उदयपुर निर्णय दिनांक 06.01.2006 (आर.टी.बी.)

2. श्री जगदीश प्रसाद व अन्य बनाम् कलक्टर अलवर (2010) 2 आर.आर. टी. 357 (आर.टी.बी.)

3. श्री शिव प्रसाद बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य 2009 2 आर.आर.टी. 888 (आर.टी.बी.)

लगातार.....3

6. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपने तर्कों को पुनः प्रकट कर विशेष रूप से कथन किया है कि चूंकि प्रार्थी के द्वारा मूल लीज डीड दिनांक 24.03.1998 को "रीको" के साथ निष्पादित की गयी थी । दिनांक 30.03.1999 को पूरक निष्पादित लीज अनुबंध केवल दो भागीदारों के रिटायरमेंट के कारण, रीको के साथ भागीदारों की संख्या में परिवर्तन कर किया गया है । विघटित साझेदारी व्यवसाय की परिसम्पतियों का कोई विक्रय नहीं हुआ है, जो किसी भी रूप में Transfer by way of assignment की श्रेणी में नहीं आती है । अतः उक्त तर्कों के आधार पर निगरानी प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किये जाने योग्य है ।

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया व कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मैसर्स डेजर्ट कियेशन जिसके चार भागीदार क्रमशः श्री अमीर जवेरी, श्री निसरीन जवेरी, श्री राजेशन सांखला व श्री राकेश सांखला थे, को 99 वर्ष की लीज पर, लीज डीड दिनांक 24.03.1998 को रिको व प्रार्थीगण के मध्य निष्पादित की गयी जिसे उपपंजीयक द्वारा दिनांक 29.03.1998 को पंजीबद्ध कर, पक्षकारों को लौटा दी गयी। तत्पश्चात्, फर्म के दो भागीदार भागीदार फर्म से पृथक् हो जाने के कारण उनके द्वारा ₹500/— के मुद्रांक पर एक दस्तावेज रिटायरमेंट डीड दिनांक 30.09.1999 को निष्पादित की गयी जिसके आधार पर रीको द्वारा अपनी मूल लीज के पीछे दो भागीदारों के रिटायरमेंट संबंधी तथ्यों का पृष्ठांकित किया गया। उक्त पृष्ठांकन को ₹100/— के मुद्रांक एवम् ₹100/— पंजीयन शुल्क पर पंजीबद्ध कर, प्रार्थी को लौटा दिया गया। इस संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी तरह से हस्तगत प्रकरण में सम्पति का हस्तांतरण नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई उल्लेख उक्त पार्टनरशीप डीड में अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के मध्य दिनांक 30.03.1999 को निष्पादित फर्म के पार्टनरशीप डीड के पंजीयन हेतु राजस्थान मुद्रांक विधि (एडप्शन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 46(ए) के अनुसार रूपये ₹500/— का ही मुद्रांक शुल्क देय है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा रूपये ₹500/— के मुद्रांक दस्तावेज पर निष्पादित प्रश्नगत पार्टनरशीप डीड के पंजीयन हेतु अब किसी प्रकार के अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की देयता नहीं होने के कारण कलक्टर (मुद्रांक), अलवर का अविधिक आदेश

लगातार.....4

दिनांक 21.11.2005 अपास्त किया जाता है। कर बोर्ड एकलपीठ द्वारा श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री प्यारेलाल, प्रोपराईटर मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज, जयपुर निगरानी संख्या 2753/2005/उदयपुर निर्णय दिनांक 06.01.2006 (आर.टी.बी.) में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है " .....**name of the firm was changed and no property was transferred. But on the basis of audit objection the change of name was treated as transfer of property. Whereas mere change of name of the firm does not amount to transfter of property."**

अतः उक्त विश्लेषण व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर कलक्टर (मुद्रांक), अलवर का निगरानीधीन आदेश दिनांक 21.11.2005 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

27.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य